

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादीकी

फर्द अहकाम

दिनांक

जाति - मोना दि. 1/2 का ब्यातकार
 स्वीकार किया।
 अता साठपत्र 07 R 11 पर खेती
 पक्षा की बहस सुनने पर साठपत्र
 में उपलब्ध दस्तावेजों का
 अवलोकन करने उचित पक्षकारान
 कि उचित वचना पर मनन करने
 पर आपस में इस विषय पर
 पहचता है कि साठपत्र प्रतिवृत्ति
 विमलु वाक्षीया स्वीकार कि यह जान
 साठपत्र है। अता, साठपत्र 07 R 11
 स्वीकार किया जाता है।
 जिसका जान खुले आपस में
 सुनाया गया।

(Signature)
 महेन्द्र सिंह भास्कर
 उपखण्ड अधिकारी
 नादीकी